न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 313/18 **निर्णय दिनांकः—11.10.2018**

1. छगनदास पुत्र जवाहरदान जाति चारण निवासी चक 3 आरएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—03—1988
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत

उपस्थितिः—

1. श्री हरिराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22—03—1988 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील कोलायत में बतौर भमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र

प्रस्तत किया गया। उक्त आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा भारतीय नागरिकता का प्रामण

पत्र पेश नहीं किया गया है व फोटो फार्म तस्दीक नहीं है व फार्म अधूरा है।

जबकि इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। इसप्रकार अदालत मातहत बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—12—2017 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश के अनुसरण में अपीलांट की अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र अदालत मातहत द्वारा इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा सद्भावी निवासी होने का प्रमाण पत्र व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधूरा व फोटो फार्म तस्दीक नहीं किया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। ऐसी स्थिति में

अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06—12—2017 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का भूमिहीन आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के व फोटो फार्म अधूरा व तस्दीकशुदा नहीं होने के कारण खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट द्वारा वर्ष 1988 में बतौर भूमिहीन आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र दिनांक 22—03—1988 को राजस्थान का मूल निवासी नहीं होने/पाक विस्थापित होने/फोटो फार्म तस्दीक नहीं होने/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र अधूरा होने के आधार पर खारिज किया गया है।

(5) प्रकरण में अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के उपरान्त आज दिनांक तक ना तो अदालत मातहत के समक्ष व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर सबूत आदि पेश किये। जिससे साबित हो है कि अपीलांट राजस्थान का मूल निवासी व पेशा काश्तकारी होना प्रमाणित होता हो। चूंकि अपीलांट स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट स्वयं अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र राजस्थान का मूल निवासी नहीं

होने/पाक विस्थापित होने/फोटो फार्म तस्दीक नहीं होने/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवंटन प्रार्थना पत्र अधूरा होने के आधार पर खारिज

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत का आदेश दिनांक 22—03—1988 यथावत बहाल रखा जता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर